उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड,

उत्तराखण्ड राज्य

डिग्री सेवा/संविदा/ 7056 /2022–23

हल्द्वानी, नैनीतालः दिनांक 25 जनवरी, 2023

ई–मेल highereducation.director@gmail.com

सेवा में,

प्राचार्य,

समस्त राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

उत्तराखण्ड।

विषयः उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत योगदानरत समस्त अस्थायी प्रकृति के शिक्षकों की सेवा शर्तो एवं अन्य सुविधाओं के सन्दर्भ में।

महादेय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय के पूर्व पत्रांक डिग्री सेवा/संविदा/6864/2022–23 दिनांक 17 जनवरी, 2023 द्वारा प्रेषित कार्यवृत के क्रम में निम्नवत निर्देश प्रदान किये जाते हैंः–

1. अस्थायी शिक्षकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के दृष्टिगत उन्हें प्रत्येक वर्ष/सत्र की संविदा अवधि में **10** दिनों का "**आकस्मिक अवकाश**" तथा विभागीय हित एवं महाविद्यालय नैक मूल्यांकन आदि में शोध सम्बन्धी गतिविधियों की महत्ता के दृष्टिगत प्रत्येक संविदा वर्ष/सत्र में **12** दिवसों का यात्रा अवधि सहित "**एकेडमिक अवकाश**" अनुमन्य किया जाएगा।
2. शासकीय नियमों में दीर्घावकाशों की देयता उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत कार्यरत मात्र नियमित वैकेशनल कार्मिकों को ही है, तथापि अस्थायी शिक्षकों के सन्दर्भ में व्यवहारिक पक्ष के दृष्टिगत दीर्घावकाश अवधि में महाविद्यालयों में परीक्षा कार्य संचालित न हो रहे हों तो प्राचार्य विवेकानुसार/महाविद्यालय की आवश्यतानुसार अस्थायी शिक्षकों को घर/इच्छित स्थल से ऑनलाइन शिक्षण कार्य हेतु अनुमति प्रदान कर सकेगें। इस अवधि में ऑनलाइन शिक्षण कार्य के दृष्टिगत अस्थायी शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण का डाटा सुरक्षित कर महाविद्यालय में ससमय प्रस्तुत करना होगा ताकि प्राचार्य द्वारा नियमानुसार वेतन आहरण की कार्यवाही की जा सके।
3. अस्थायी शिक्षकों की संविदा अवधि केवल 11 माह होगी, 11 माह पश्चात **02** दिवसीय टोकन ब्रेक पश्चात अनिवार्य रूप से नियोक्ता **(महाविद्यालय प्राचार्य)** द्वारा नई संविदा शपथपत्र में पूरित करवाई जानी होगी, जिसका अनुमोदित **'प्रारूप एकरूपता' के दृष्टिगत संलग्न कर** प्रेषित किया जा रहा है, संलग्न व अनुमोदित प्रारूप से भिन्न प्रारूप कदापि न हो अन्यथा समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्राचार्य की होगी।
4. अस्थायी शिक्षकों को प्रत्येक कार्यदिवस पर महाविद्यालय में नियमित शिक्षकों की भांति निर्धारित अवधि अनुसार महाविद्यालय में उपस्थित रहना होगा।
5. नियमित शिक्षकों हेतु निर्धारित सेवा निवृत्ति आयु प्राप्त होने के दिनांक पर सम्बन्धित अस्थायी शिक्षक की संविदा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
6. उपरोक्त समस्त सेवा शर्ते विभागान्तर्गत योगदानरत समस्त **(प्रातःकालीन/सांध्यकालीन, गैस्ट फैकल्टी, संविदा शिक्षक एवं समस्त नितान्त अस्थायी शिक्षक)** अस्थायी प्रकृति के शिक्षकों पर लागू होगी, यह व्यवस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में योगदानरत शिक्षकों पर लागू नहीं होगी।

भवदीय,

(डॉ0 जगदीश प्रसाद)

प्रभारी निदेशक (उच्च शिक्षा),

उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

अस्थायी व्यवस्था अन्तर्गत अभ्यर्थियों से पूरित कराये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

यह अनुबन्ध प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा जिसे प्रथम पक्ष कहा गया है एवं अभ्यर्थी.....पुत्र/पुत्री.....पता..... .....को द्वितीय पक्ष कहा गया है के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुबन्धत किया गया है।

1. यह कि द्वितीय पक्ष को शिक्षा सत्र.....में लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने अथवा नियमित प्राध्यापक के स्थानान्तरण फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने अथवा 11 माह की अवधि तक जो भी पहले हो हेतु, अस्थायी व्यवस्था अर्न्तगत शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष को शिक्षण अवधि में रू0 35000/– प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रत्येक कार्यदिवस पर महाविद्यालय के अन्य शिक्षकों हेतु निर्धारित अवधि अनुसार महाविद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्ष को सामान्य परिस्थितियों में 11 माह पश्चात दो दिन का टोकन ब्रेक दिया जायेगा।
5. यह कि द्वितीय पक्ष अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत किये गये शिक्षण कार्य के आधार पर नियमित नियुक्ति की मांग नहीं करेगा और न ही उक्त अस्थायी शिक्षण कार्य हेतु रखे जाने से उसका नियमित नियुक्ति के लिए विधिक अधिकार होगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष पर प्रथम पक्ष का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होगा।
7. यह कि अनुबन्ध की शर्तो का उलंघन करने एवं महाविद्यालय के हित में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को सौपे गये दायित्वों का निर्वहन न किये जाने पर किसी भी समय इस अनुबन्ध को नियमानुसार समाप्ति का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
8. यह कि इस विषय में उत्पन्न किसी भी विवाद पर उत्तराखण्ड शासन/उच्च शिक्षा निदेशालय का निर्णय अन्तिम होगा।
9. यह अनुबन्ध आज दिनांक .....को स्थान..... के अन्तर्गत हुआ।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
(प्राचार्य)

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष
(अस्थायी शिक्षक)

हस्ताक्षर साक्षी–

1.

2.

अनुबन्ध

मै.....यह घोषणा करता हूँ कि मै महाविद्यालय में सत्र ..... हेतु लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने तक अथवा नियमित प्राध्यापक के स्थानान्तरण फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने अथवा 11 माह की अवधि तक अस्थायी व्यवस्थान्तर्गत सम्पादित शिक्षण कार्य किये जाने के आधार पर विनियमितकरण की मांग नही करूँगा और न ही लोक सेवा आयोग द्वारा किये जाने वाले चयन हेतु किसी अधिकार का दावा करूँगा। महाविद्यालय के प्राचार्य/संरक्षक द्वारा दिये गये शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों के दायित्वों को पूर्ण करने का वचन देता हूँ एवं ऐसा न करने पर मेरी संविदा समाप्त करने का अधिकार नियोक्ता को होगा।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

नाम
पदनाम
पता
फोन न0